फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मीठालाल | **विपक्षी : श्री किशनलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 33/23**

जीसीएमएस : 2023/111

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 247 पर दर्ज आराजी नम्बर 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1790/1705, 1791/1706, 1792/1708 किता 8 कुल रकबा 0.7853 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारो के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त भूमि में विपक्षी का कोई हक हिस्सा होना प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में विपक्षी बाहुबल के आधार पर दखलन्दाजी नही कर सकता हैं। प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** Signature Not Verified परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में इस आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.01.31 12:41:47 IST Reason: SelfAttested	

जारी की जाती है कि मौजा ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 247 पर दर्ज आराजी नम्बर 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1790/1705, 1791/1706, 1792/1708 किता 8 कुल रकबा 0.7853 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में विपक्षी दखलन्दाजी नहीं करे साथ ही यदि कब्जा विपक्षी का है तो प्रार्थी विपक्षी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested